रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 131] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 24, 2009/श्रावण 2, 1931
No. 131] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 24, 2009/SRAVANA 2, 1931

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्
अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2009

सं.भा.आ.प.-12(2)/मेडि./22654.—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, "चिकित्सा संस्थानों में शिक्षकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता विनियमावली, 1998" में पुन: संशोधन करने हेतु भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामत: :—

1. (i) इन विनियमों को "चिकित्सा संस्थानों में शिक्षकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता (संशोधन) विनियमावली, 2009" कहा जाए।
   (ii) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. "चिकित्सा संस्थानों में शिक्षकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता विनियमावली, 1998" में निम्नलिखित परिवर्धन/संशोधन/विलोप/प्रतिस्थापन दर्शाए जाएंगे :—

3. (i)(क) अनुसूची 1, खण्ड (2) में 'इन विभागाध्यक्षों के पास मान्यताप्राप्त मूल विश्वविद्यालय मेडिकल डिग्री शैक्षिक योग्यता या उनके समकक्ष शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए' शब्दों को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"प्री और पारा नैदानिक विषयों के विभागाध्यक्षों के पास मान्यताप्राप्त मूल विश्वविद्यालय डिग्री शैक्षिक योग्यता अर्थात् एम बी बी एस या उसके समकक्ष शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए।"

(ख) अनुसूची I, खण्ड (2) में "कम्यूनिटी मेडिसिन और औषध-विज्ञान विभागों में सांख्यिकी और औषध-विज्ञान रसायन के व्याख्याताओं के पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से उस विषय विशेष में एम.एससी शैक्षिक योग्यता होगी" वाक्य को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

"कम्यूनिटी मेडिसिन विभाग में सांख्यिकी के व्याख्याताओं के पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से एम.एससी. शैक्षिक योग्यता होगी।"

(ii) अनुसूची I में, खंड (3) में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा : "डीन/प्रधानाचार्य/मेडिकल कॉलेज/संस्थान का निदेशक, जो संस्थान का प्रमुख है और चिकित्सा अधीक्षक जो संबद्ध अध्यापन अस्पताल का प्रमुख है, किसी इकाई का प्रभारी हो सकता है परंतु मेडिकल कालेज/संस्थान का विभागाध्यक्ष नहीं हो सकता। तथापि वे संबंधित विभाग में पढ़ा सकते हैं और प्रेक्टिस कर सकते हैं।"

4. सारणी-I में दर्शाए गए सामान्य विशेषज्ञताओं के सभी विषयों में अध्यापन/अनुसंधान अनुभव की अपेक्षिताएं, निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित की जाएंगी :

"(क) प्रोफेसर :
   (i) मान्यताप्राप्त मेडिकल कॉलेज में 3 वर्ष तक संबंधित विषय में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में।
   (ii) अभिसूचक/राष्ट्रीय जनरलों में न्यूनतम 4 अनुसंधान प्रकाशन।

(ख) एसोसिएट प्रोफेसर :
   (i) मान्यताप्राप्त मेडिकल कॉलेज में 4 वर्ष तक संबंधित विषय में सहायक प्रोफेसर के रूप में।
   (ii) अभिसूचक/राष्ट्रीय जनरलों में न्यूनतम 2 अनुसंधान प्रकाशन।

5. सारणी-II में दर्शाई गई अति-विशेषज्ञताओं के सभी विषयों में अध्यापन/अनुसंधान अनुभव की अपेक्षिताएं, निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित की जाएगी :

"(क) प्रोफेसर : (i) मान्यताप्राप्त मेडिकल कॉलेज में 3 वर्ष तक संबंधित विषय में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में ।
(ii) अभिसूचक/राष्ट्रीय जनरलों में न्यूनतम 4 अनुसंधान प्रकाशन ।

(ख) एसोसिएट प्रोफेसर : (i) मान्यताप्राप्त मेडिकल कॉलेज में 2 वर्ष तक संबंधित विषय में सहायक प्रोफेसर के रूप में ।
(ii) अभिसूचक/राष्ट्रीय जनरलों में न्यूनतम 2 अनुसंधान प्रकाशन ।"

[सं. वी. 11012/2/2005-एमई-(पार्ट-आई)]

ले. क. (से.नि.) डॉ. ए.आर.एन. सीतलवाड, सचिव

पाद टिप्पणी : प्रधान नियमावली नामत: "चिकित्सा संस्थानों में शिक्षकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता विनियमावली, 1998" दिनांक 5 दिसम्बर, 1998 को भारत के राजपत्र के भाग III, खण्ड (4) में प्रकाशित की गई थी और इसे भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 16 मार्च, 2005 की अधिसूचना के अंतर्गत संशोधित किया गया था ।

MEDICAL COUNCIL OF INDIA
NOTIFICATION

New Delhi, the 21st July, 2009

No. MCI-12(2)/2009-MED-22654.—In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Medical Council of India with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following Regulations to amend the "Minimum Qualifications for Teachers in Medical Institutions Regulations 1998", namely :—

1. (i) These Regulations may be called the "Minimum Qualifications for Teachers in Medical Institutions (Amendment) Regulations, 2009".
(ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the "Minimum Qualification for Teachers in Medical Institutions Regulations, 1998", the following additions/modifications/deletions/substitutions, shall be, as indicated therein :—

3. (i) (a) In Schedule I, Clause (2) , the words "The Heads of these departments must possess recognized basic University medical degree qualification or equivalent qualification" shall be substituted with the following :—

"Heads of departments of pre and para clinical subjects must possess recognized basic University degree qualification i.e. MBBS or equivalent qualification."

(b) In Schedule I, Clasue (2) ; the sentence "In the departments of Community Medicine and Pharmacology, Lecturers in Statistics and Pharmacological Chemistry shall possess M.Sc. qualification in that particular subject from a recognised University" shall be substituted with the following :—

"In the department of Community Medicine, Lecturers in Statistics shall possess M.Sc. qualification from a recognised University."

(ii) In Schedule I, the following shall be added to Clause (3) :

"Dean/Principal/Director of Medical College/Institution, who is head of the institute and the Medical Superintendent who is head of the affiliated teaching hospital can be incharge of a Unit but cannot be HOD in the medical college/institution. However, they can teach and practice in the Department concerned."

4. The Teaching/Research experience requirements in all the subjects of Broadspecialities shown in Table-I shall be substituted as under :—

"(A) Professor : (i) As Associate Professor in the subject concerned for three years in the recognized medical college.
(ii) Minimum of four research publications in indexed/national journals.

(B) Associate Professor : (i) As Assistant Professor in the concerned subject for four years in the recognized medical college.
(ii) Minimum of two research publications in indexed/national journals."

5. The Teaching/Research experience requirements in all the subjects of Superspecialities shown in Table-II shall be substituted as under :—

"(A) Professor : (i) As Associate Professor in the subject concerned for three years in the recognized medical college.
(ii) Minimum of four research publications in indexed/national journals.

(B) Associate Professor : (i) As Assistant Professor in the concerned subject for two years in the recognized medical college.
(ii) Minimum of two research publications in indexed/ national journals."

[No. V. 11012/2/2005-ME-(P-I)]

Lt. Col. (Retd.) Dr. A.R.N. SETALVAD, Secy.

Foot Note :—The Principal Regulations namely, "Minimum Qualifications for Teachers in Medical Institutions Regulations, 1998" were published in Part III, Section 4 of the Gazette of India on the 5th December, 1998, and amended *vide* MCI notification dated 16th March, 2005.

Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.